मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

निविदाएं -आमंत्रित

निविदा क्रमांक 12658/वि.स./स्टे./19 भोपाल,दिनांक 21/8/2019

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी पुरूष एवं महिला कर्मचारियों के उपयोगार्थ वर्दी के कपड़े एवं वर्दी के साथ लगने वाली अन्य सामग्री का क्रय किया जाना है। इच्छुक पंजीकृत फर्मो द्वारा प्रस्तावित सामग्री एवं कपड़ा प्रति मीटर/प्रति नग की दर (GST सहित), नमूना संलग्न करते हुये छूट इत्यादि की जानकारी एवं राशि रूपये 10000/- (राशि रूपये दस हजार) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट (प्रमुख सचिव,विधान सभा भोपाल के नाम से देय) सहित सीलबंद निविदाऐं दिनांक 05.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक विधान सभा के प्रवेश-पत्र कार्यालय के समक्ष रखी निविदा पेटी में डाली जा सकती है । निविदा फार्म एवं सामान्य शर्तें कार्यालयीन दिवस में इस सचिवालय के प्रवेश-पत्र कार्यालय से प्रातः 10.30 बजे से 05.00 बजे तक निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण विधान सभा की वेबसाइट **www.mpvidhansabha.nic.in** पर भी देखा जा सकता है, निविदा दिनांक 05.09.2019 को अपरान्ह 3.30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जावेंगी ।

क्रय किये जाने वाले कपड़े एवं अन्य सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	सामग्री का नाम	क्रय की मात्रा
1	सफेद टेरीकाट कपड़ा (रेमण्ड्स क्वा.क्रं.2824 ट्रॉविन)	564 मीटर
2	नेवी ब्लू पेंट का कपड़ा (रेमण्ड्स क्वा.क्रं.2824)	48 मीटर
3	स्काई ब्लू शर्ट का कपड़ा (रेमण्ड्स क्वा.क्रं.1203)	100 मीटर
4	साडियां (मेहरून कलर)	48 नग
5	ब्लाउज का कपड़ा (मेहरून कलर)	48 मीटर
6	ब्लेक लेदर शूज़ (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	20 जोड़
7	ब्लेक लेदर बेल्ट (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	20 नग
8	नेवी ब्ल्यू मोजे (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	40 जोड़
9	विशिल कार्ड, विशिल सहित (चौकीदारों के उपयोगार्थ)	20 नग

1. निविदाओं को मान्य व अमान्य करने तथा क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा परिवर्तित करने का संपूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल को होगा ।
2. बिना बैंक ड्राफ्ट या अपूर्ण निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

E:\Stationary Work 2017\Nivida Vardi.doc

विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश

निविदा - फार्म

क्रमांक......................

प्रति,

प्रमुख सचिव महोदय,

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,

भोपाल

मैं श्री/श्रीमती /कुमारी..निविदाकर्ता, दिनांक.................. को वर्दी का टेरीकाट कपड़ा एवं अन्य सामग्री से संबंधित क्रय हेतु प्रकाशित निविदा प्रस्तुत करता /करती हूँ।

1. नाम:- ....
2. पिता/पति का नाम:- ....
3. अस्थायी पता:- ....
4. स्थायी पता:- ....
5. फर्म / संस्था का नाम ....
6. धरोहर राशि का विवरण
   बैंक ड्राफ्ट क्रमांक / दिनांक
   संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम
   जहां से जारी हुआ है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म / संस्था का नाम / सील

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

वर्दी का कपड़ा एवं अन्य सामग्री क्रय हेतु नियम एवं शर्तो का उल्लेख निम्नानुसार है:-

1. फर्मो द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दर मय कर के दर्शायी जाये,फर्मो के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री उन्हें स्वयं के व्यय पर विधान सभा में पहुंचानी होगी ।
2. निविदा में प्रदाय सामग्री की कम्पनी, गुणवत्ता का पूर्ण विवरण मय क्वालिटी क्रमांक एवं नमूने के देना होगा । नमूने के अभाव में सामग्री के क्रय पर विचार किया जाना संभव नही होगा ।
3. प्रदाय की जाने वाली निविदा पर फर्म का सेल्स टेक्स (विक्रय कर) पंजीयन क्रमांक व लघु उद्योग निगम में पंजीयन है, अथवा नही,तदाशय की भी जानकारी दी जाये ।
4. निविदाकार को निविदा के साथ राशि रूपये 10000/- (राशि रूपये दस हजार) मात्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा भोपाल के नाम का जमा करना होगा । जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
5. फर्मो द्वारा सामग्री प्रदाय का आदेश मिलने के एक माह के भीतर सामग्री प्रदाय करनी होगी ।
6. निविदाओं की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, म.प्र. विधान सभा को होगा । किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त किया जा सकेगा ।
7. निविदाएं दिनांक 05.09.2019 को अपरांह 3:00 बजे तक विधानसभा के प्रवेश पत्र कार्यालय के समक्ष रखी निविदा पेटी में डाली जा सकती हैं।
8. निविदा दिनांक 05.09.2019 को दोपहर 3:30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
9. निविदाकार उसी गुणवत्ता के कपड़ों एवं सामग्री की दरें एवं नमूने प्रेषित करे,जिनकी उपलब्धता आगे भी बनी रहे ।
10. जिस संस्थान की निविदा स्वीकृत होगी उसे छोड़कर शेष अन्य निविदाकारों की भी अमानत राशि का बैंक ड्राप्ट आवेदन प्राप्त होने पर यथा समय पावती लेकर वापस किया जावेगा ।
11. सामग्री की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी / बृद्धि की जा सकती है ।
12. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

E:\Stationary Work 2017\Nivida Vardi.doc

उपर्युक्त दर्शित क्रमांक 01 से 12 के नियम एवं शर्ते मान्य हैं :-

1. टेण्डर फार्म पर किये गये हस्ताक्षर मेरे स्वयं के हैं।
2. टेण्डर फार्म पर दी गई जानकारी पूर्णत: सत्य हैं तथा किसी भी गलत जानकारी के लिये मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
3. आदेशित वर्दी का कपड़ा/अन्य सामग्री दिये गये समय के भीतर न प्रदाय करने, प्रेषित सामग्री उचित गुणवत्ता की न होने पर मेरी धरोहर राशि राजसात कर ली जायें।
4. वर्दी का कपड़ा/अन्य सामग्री क्रय के संबंध में कमेटी द्वारा लिया गया निर्णय मेरे लिये सर्वोपरि होगा तथा उसे मैं स्वीकार करूंगा/करूंगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म / संस्था का नाम / सील